कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी रामपुर/मुरादाबाद।

कार्या0– हैलेट रोड़ मुरादाबाद– 244001,

पत्रांक: स–17/सीएफओ/आरपीआर/(स्कूल)/2020/

दिनांक: जुलाई 09 .2020

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
महर्षि विद्या मन्दिर,
निकट राजकीय पॉलीटेक्निक स्कूल ग्राम ताशका,मझरा
तहसील–सदर,जनपद रामपुर(उ0प्र0)।

विषय :महर्षि विद्या मन्दिर, निकट राजकीय पॉलीटेक्निक स्कूल ग्राम ताशका,मझरा तहसील–सदर,जनपद रामपुर(उ0प्र0) की फायर आडिट रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:–आपका प्रार्थना पत्र दिनांक: 29.06.2020,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 29.06.2020,के आधार पर महर्षि विद्या मन्दिर, निकट राजकीय पॉलीटेक्निक स्कूल ग्राम ताशका,मझरा तहसील–सदर,जनपद रामपुर(उ0प्र0) के भवन में उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं की क्रियाशीलता के सम्बन्ध में श्री मतलूब हुसैन अग्नि शमन अधिकारी रामपुर द्वारा निरीक्षण कराया गया। जिनकी निरीक्षण आख्या दिनांक 06.07.2020 के अनुसार प्रश्नगत भवन में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं निरीक्षण के दौरान स्थापित एवं कार्यशील दशा में पायी गयी–

(क) **भवन की संरचना:**–(तत्कालीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद/रामपुर के पत्रांक:म–65/सीएफओ–स्कूल–एनओसी –10 दिनांक: 09.12.2010 के अनुसार अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है) प्रश्नगत् भवन भूतल से प्रथम तल तक निर्मित है जिसका कुल प्लाट एरिया–10110.00 वर्ग मी0, भूतल कवर्ड एरिया–891.13 वर्ग मी0, प्रथम तल कवर्ड एरिया–891.13 वर्ग मी0है भवन की ऊंचाई–08.70 मी0 है उक्त भवन तक अग्नि शमन वाहन आसानी से आ–जा सकते है ।

(ख)–**अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें** :–प्रश्नगत् भवन में निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कार्यशील दशा में पायी गयी–

1. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):–प्रश्नगत् भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर में स्थापित हैं।
2. होजरील– प्रश्नगत् भवन में होजरील में स्थापित हैं।
3. टेरिस टैंक–प्रश्नगत भवन में टेरिस टैंक क्षमता 10,000ली0 का मानको के अनुसार वॉछनीय है ।
4. टेरिस पम्प– प्रश्नगत भवन में 450 एलपीएम क्षमता का टेरिस पम्प का मानकों के अनुसार वॉछनीय है ।
5. एग्जिट साइनेज:– सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साइनेज मानकों के अनुसार वॉछनीय हैं।
6. पी0ए0सिस्टम:–सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0सिस्टम कार्यशील दशा में स्थापित हैं।

प्रबन्धक द्वारा संस्थान में उपलब्ध **17** अदद फायर एक्सटिंग्युशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:–1120(1)/आठ दिनांक 27.12.1982 मे दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रू0 **170/–** भारतीय स्टेट बैंक शाखा जनपद रामपुर मे चालान संख्या **04**, दिनांक **06.07.2020** द्वारा जमा कराया गया।

(घ)–**प्रश्नगत् भवन की सुरक्षा हेतु जनहित में उपरोक्त सुझावों का भी अनुपालन करना अनिवार्य होगा–**

1–प्रश्नगत भवन मे उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स शेड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखे जाये।

2–प्रश्नगत् भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त किया जाये। एवं अवशेष अग्नि शमन व्यवस्था का स्थापन शीघ्रता शीघ्र किजाये ।

3–अवशेष अग्नि शमन व्यवस्था एवं भवन संरचना पूर्ण किये जाने के उपरान्त निवेश मित्र पोर्टल पर आन लाइन किया जाये ।

4–प्रश्नगत् भवन किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

5–प्रश्नगत् भवन मे स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाये।

6–प्रत्येक 06 माह में एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाये तथा इमरजेन्सी इवेक्यूएशन प्लान बनाया जाये। इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान की जाये।

–2–

Scanned with CamScanner

7-वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा,फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

8-प्रश्नगत् भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण /किसी प्रकार की धन-जन हानि होने पर सम्बन्धित प्रबन्धक/स्वामी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।

9-सम्बन्धित भवन का मानचित्र सत्ताप्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कराया जाना वांछनीय है । तथा भवन सत्ताप्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही मान्य होगा ।

अतः प्रश्नगत भवन में स्थापित समस्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने एवं भवन में National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। तथा अग्निशमन उपकरणों के संचालन हेतु अग्निशमन कार्य में दक्ष स्टाफ की उपस्थिति बनाये रखने की शर्त पर महर्षि विद्या मन्दिर, निकट राजकीय पॉलीटेक्निक स्कूल ग्राम ताशका,मझरा तहसील-सदर,जनपद रामपुर(उ0प्र0) के प्राथना पत्र दिनांक 29.06.2020 के अनुरोध एवं अग्नि शमन अधिकारी रामपुर की आख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1141/छः-पु-8-2007-23(विविध)/07दिनांकः 01.06.2007 एवं शासनादेश संख्या- 50सीएम/छः-पु-8-2019-804(70)/17 दिनांक 16.8.2019के सन्दर्भ में फायर आडिट रिपोर्ट अनुपालन हेतु प्रेषित है ।

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी रामपुर उ०प्र०-244901
पत्र सं०.........

(मुकेश कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद।

प्रतिलिपि :-

1. अग्निशमन अधिकारी,रामपुर को सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु प्रेषित।

MANAGER
Maharishi Vidya Mandir Schools Group
B-64/B, Sector-36, Noida-201301
G.B. Nagar U.P.

PRASHANT SINGH
Principal
MAHARISHI VIDYA MANDIR
Near Govt. Polytechnic College
Gram-Tashka Rampur(U.P.)

Scanned with CamScanner